सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. NSM/8/2017/STGCG/SEOTH/RU-III

छठा तल बी विंग लोकनायक भवन
खान मार्केट नई दिल्ली.110003
दिनांकः **15.10.2018**

सेवा में

1. सचिव,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
भारत सरकार,
नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली–110001

2. सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग,
धौलपुर हाउस,
शाहजहां रोड,
नई दिल्ली–110069

विषयः श्री एन. एस. मंडावी, सेवानिवृत भा.प्र.से. (2000) तत्कालीन कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) के साथ भेदभाव करने के संबंध में प्राप्त हुई शिकायत पर श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर डॉ. नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 07.09.2018 को आयोग में ली गई बैठक का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। आवेदक श्री एन.एस. मंड़ावी, सेवानिवृत भा.प्र.से. (2000) के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उनके कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा के पद पर कार्यरत रहने के दौरान गैस राज्य शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के लिए सिलेण्डर, भट्ठी, रेग्युलेटर आदि के क्रय में की गई अनियमितताओं की जांच के बाद उनसे रुपये 7.50 लाख की वसूली का दण्ड देने संबंधी प्रकरण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार को भेजा गया है जिस पर निर्धारित प्रक्रियानुसार संघ लोक सेवा आयोग भी विचार करेगा।

आयोग ने यह पाया है कि राज्य के तीन जिलों–दंतेवाड़ा, कांकेर एवं बस्तर में एक ही फर्म से समान दर पर तथा समान प्रक्रिया से सामग्री क्रय करने की कार्रवाई की गई थी किंतु 02 जिलों–कांकेर एवं बस्तर के जिम्मेदार सामान्य वर्ग के अधिकारियों को, जो राज्य शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के राजपत्रित अधिकारी थे, को परिनिन्दा/चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है जबकि तीसरे जिले–दंतेवाड़ा के तत्कालीन कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा के पद पर कार्यरत आवेदक श्री मंड़ावी से, जो अनुसूचित जनजाति के हैं, रुपये 7.50 लाख की वसूली का दण्ड सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने प्रस्तावित किया है।

अतः निर्देशानुसार, आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आवेदक श्री एन.एस. मंड़ावी, सेवानिवृत भा.प्र.से. (2000) के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रस्तावित भेद–भावपूर्ण दण्डात्मक कार्रवाई समाप्त किए जाने का कष्ट करें। साथ ही मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को 01 माह की अवधि के भीतर भिजवाने की कृपा करें ।

भवदीय,

15/10/2018

(डॉ. ललित लटटा)
निदेशक

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. NSM/8/2017/STGCG/SEOTH/RU-III

श्री एन. एस. मंडावी, सेवानिवृत भा.प्र.से. (2000) तत्कालीन कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दंतेवाड़ा के साथ कथित रूप से भेदभाव करने के संबंध में प्राप्त हुई शिकायत पर डॉ. नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची : संलग्नक 'क'
बैठक की तिथि : 07.09.2018

आयोग को श्री एन. एस. मंडावी, सेवानिवृत भा.प्र.से (2000) लक्ष्मी नगर, रायपुर से दिनांक 15.05.2017 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें अनुसूचित जनजाति का अधिकारी होने के कारण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुचित निर्णय लेकर उनके साथ भेदभाव किए जाने की शिकायत की गई जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक और मानसिक त्रास हुआ है। आयोग द्वारा भेजे गए पत्रों से शिकायत का निराकरण न होने एवं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय अध्यक्ष ने मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा प्रमुख सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के साथ दिनांक 18.07.2018 को एक बैठक आहूत की थी जिसमें श्री एम.एम. मिंज, संयुक्त सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा अभ्यावेदक चर्चा के लिए आयोग में उपस्थित हुए थे।

बैठक में विस्तृत चर्चा और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने निम्नानुसार अनुशंसाएं की थीं:—

1. छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा एक तुलनात्मक स्टेटमेण्ट तैयार कर तीनों जिलों में खरीदी गई सामग्रियों की मात्रा, दर, क्रय प्रक्रिया, क्रय प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितता, तत्कालीन अधिकारी का नाम, पदनाम एवं भूमिका और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का तुलनात्मक विवरण आयोग में प्रस्तुत किया जाए। इसमें यदि यह पाया जाता है कि अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में एकरूपता नहीं है, केवल आवेदक को ही दण्डित करने की कार्रवाई हुई है और अन्य अधिकारियों को परिनिन्दा/चेतावनी देकर छोड़ा गया है तो सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए आवेदक से भी समान व्यवहार किया जाए।
2. छत्तीसगढ़ शासन के दिनांक 12.06.2008 के परिपत्र संख्या एफ 13–3/आ.प्र. /2008/1–3 में निर्देश है कि अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों को गलती किए जाने पर सर्वप्रथम समझाइश दिया जाकर कार्य पद्धति में सुधार लाने का प्रयास किया जाए तत्पश्चात् भी यदि सुधार नहीं होता है तो उन्हें चेतावनी दी जाए।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकूल टिप्पणियां, कोई ठोस आधार हों तो ही पूर्ण विचारोपरांत की जाए। इस मामले में उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने का कारण बताया जाए।

3. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की प्रकरण समाप्त करने की टीप के बावजूद आवेदक के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का कारण स्पष्ट किया जाए।
4. उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए आयोग को 02 सप्ताह के भीतर समस्त जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

उक्त निर्देशों के पालन में छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विकास ने आयोग को तुलनात्मक विवरणी उपलब्ध कराई जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक ही प्रकार के आरोपों पर आवेदक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार के दो विभागों द्वारा अलग–अलग तरह की कार्रवाई की गई है। इस पृष्ठभूमि में आयोग ने यह बैठक बुलाई और सामान्य प्रशासन विभाग तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों से चर्चा की।

बैठक में आयोग ने संयुक्त सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से यह जानना चाहा कि जब तीनों जिलों दण्तेवाडा, बस्तर तथा कांकेर में एक ही एजेंसी महालक्ष्मी गैस एजेंसी से एक ही दर पर गैस भट्टी, सिलेण्डर तथा रेगुलेटर की खरीद की गई है और गुणवत्ता के विषय में कोई शिकायत नहीं थी तो श्री मंडावी के विरुद्ध ही क्यों कार्यवाही की गई है तथा अन्य दोनों जिलों के अधिकारियों को क्यों परिनिन्दा/चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। आयोग ने यह भी जानना चाहा कि यदि इन तीन जिलों में से किसी जिले में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं तो वहां क्रय हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई। अगर कांकेर जिले में भी निविदाएं नहीं बुलाई गई थीं तो वहां के संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई। क्या उनके विरुद्ध भी वसूली का आदेश पारित किया गया है, इस संबंध में जानकारी दी जाए। साथ ही प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी दी जाए। उन्होंने जानकारी दी कि कांकेर एवं बस्तर जिलों के मामलों की जांच उनके विभाग ने की थी और उन जिलों के सहायक आयुक्तों को परिनिन्दा/चेतावनी देने का निर्णय लिया। आवेदक चूंकि भा.प्र.से. के अधिकारी हैं अतः उनके मामले में लोक लेखा समिति के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्णय लिया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने आयोग को बताया कि श्री एन. एस. मंडावी, सेवानिवृत भा.प्र.से के विरुद्ध विभागीय जांच संपन्न होने के पश्चात जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन की अनुशंसाओं के आधार पर प्रकरण अंतिम निर्णय हेतु भारत सरकार को भेजा गया है। चूंकि श्री एन. एस. मंडावी, सेवानिवृत भा.प्र.से अधिकारी हैं तथा इनकी नियोक्ता भारत सरकार है अतः श्री एन. एस. मंडावी पर अखिल भारतीय सेवा नियम लागू होते हैं। अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह उपादान नियम), 1958 के नियम 6(1) के

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुसार अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भारत सरकार को है तथा भारत सरकार अंतिम निर्णय लेने के पूर्व संघ लोक सेवा आयोग की राय लेगी। श्री एन. एस. मंडावी, सेवानिवृत भा.प्र.से का प्रकरण अभी भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

पूर्व में हुई बैठक में दी गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग में केवल श्री एन. एस. मंडावी का प्रकरण प्रचलित है तथा इस बिंदु में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अन्य अधिकारियों की जानकारी होने से उक्त विभाग से जानकारी प्राप्त की गई, तत्संबंध में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3–24/2018/25–1, दिनांक 04.09.2018 द्वारा जानकारी प्राप्त हुई।

अवर सचिव ने आयोग को बताया कि दी गई अनुशंसा के बिंदु 03 के संबंध में स्थिति यह है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार ही प्रकरण में कार्यवाही की गई है। वर्तमान में प्रकरण भारत सरकार में विचाराधीन है तथा इस पर अभी अंमित निर्णय नहीं हुआ है। भारत सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की राय प्राप्त करने के उपरांत ही इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

निष्कर्षः समस्त मामले पर विचार के बाद आयोग ने पाया कि राज्य सरकार के दो अलग–अलग विभागों द्वारा तीनों जिलों में एक ही प्रकार की अनियमितता के आरोपों की जांच की गई और एक ही प्रक्रिया, दर, प्रदाता फर्म आदि होने के बाद भी आरोपी अधिकारियों के साथ अलग–अलग प्रकार की कार्रवाई की गई है जिसमें श्री मंडावी के साथ भेदभाव करते हुए उन्हें आर्थिक वसूली का दण्ड प्रस्तावित किया गया है जबकि अन्य जिलों के अधिकारियों को परिनिन्दा/चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है जो अनुसूचित जनजाति के अधिकारी के साथ अन्याय है।

अनुशंसाएं तथा निर्णयः–

1. सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन आयोग को प्रकरण से संबंधित सभी जानकारियां अतिशीघ्र उपलब्ध कराए।
2. चूंकि राज्य सरकार द्वारा श्री मंड़ावी के विरुद्ध आर्थिक वसूली का मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पास कार्रवाई हेतु भेजा गया है, अतः छत्तीसगढ़ शासन से उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने पर श्री मंड़ावी के साथ भेद–भाव की स्थिति को देखते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग को तथ्यों से अवगत कराया जाए और उनके विरुद्ध आर्थिक दण्ड की वसूली की कार्रवाई न करने की अनुशंसा की जाए।

10.10.18

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संलग्नक 'क'

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. NSM/8/2017/STGCG/SEOTH/RU-III

श्री एन. एस. मंडावी, सेवानिवृत भा.प्र.से. (2000) तत्कालीन कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दंतेवाड़ा के साथ कथित रूप से भेदभाव करने के संबंध में प्राप्त हुई शिकायत पर श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष
2. श्री राघव चंद्रा, सचिव
3. श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
4. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक
5. श्री डी.सी. कटोच, परामर्शक

छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी

1. श्री एम.एम. मिंज, संयुक्त सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
2. श्री मुकुंद गजभिये, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

आवेदक

श्री एन. एस. मंडावी, सेवानिवृत भा.प्र.से. (2000)